न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 29 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
तहसीलदार भू.अ. सायला जिला जालोर		श्री नारणाराम वल्द हिमताजी जातियान सरगरा निवासी थलवाड

प्रार्थनापत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
बाबत रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित– 1. सरकारी पैरोकार (तह0 सायला) प्रार्थी की ओर से

आदेश दिनांक 20/05/2019

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि डीआईएलआरएमपी प्रोजक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसरों के मिसमेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत शुद्ध किये जाने बाबत यह है कि ग्राम थलवाड के नक्शा शीट में खसरा नम्बर 106 / 1729 दर्ज है परन्तु ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबश्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 106 / 1729 की बजाय 109 / 1729 रकबा 0.03 हे., अलावा जोत काबिल काश्त राजस्थान सरकार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2072–75 में भी उक्त खसरा नम्बर 109 / 1729 रकबा 0.03 हे., में नारणाराम पुत्र हीमताजी कौम सरगरा सा.देह गैर खातेदार दर्ज है । मिसल बन्दोबश्त के मिलान क्षेत्रफल में भी उक्त खसरा नम्बर 106 / 1729 के रूप में ही दर्ज है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबश्त में 109 / 1729 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व नियम 1956 के तहत दर्ज कर नियमानुसार आदेशित करावें ताकि नक्शा अनुसार मिसल बन्दोबश्त एवं तदनुसार जमाबन्दियों में खसरा नम्बर 109 / 1729 की बजाय 106 / 1729 शुद्ध / संशोधन किये जाने निवेदन किया है ।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रर्थीगण यह खातेदार को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त है। अप्रार्थीगण द्वारा सहमती पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मिसल बन्दोबस्त व वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 109 / 1729 की बजाय 106 / 1729 किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के सयुक्त हस्ताक्षरार्थ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र व प्रार्थीगण का सहमती पत्र का का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम थलवाड के नक्शा शीट में खसरा नम्बर 106/1729 दर्ज है परन्तु ग्राम थलवाड की मिसल बन्दोबश्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 106/1729 की बजाय 109/1729 रकबा 0.03 हे., अलावा जोत काबिल काश्त राजस्थान सरकार के रूप में दर्ज है एवं तद्नुसार जमाबन्दी संवत् 2072–75 में भी उक्त खसरा नम्बर 109/1729 रकबा 0.03 हे., में नारणाराम पुत्र हीमताजी कौम सरगरा सा.देह गैर खातेदार दर्ज है । मिसल बन्दोबश्त के मिलान क्षेत्रफल में भी उक्त खसरा नम्बर 106/1729 के रूप में ही दर्ज है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबश्त में 109/1729 गलत दर्ज है, जो सैटलमेंट की गलती है प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम थलवाड के मिसल बन्दोबस्त व जमाबंदी में खसरा नम्बर 109/1729 की बजाय 106/1729 दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली,तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत है तथा तहसीलदार की जांच व अनुशंषा अनुसार सरहद मोजा थलवाड की मिसल बन्दोबस्त व वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 109/1729 की बजाय 106/1729 दुरूस्ती की जानी न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा थलवाड की वर्तमान जमाबंदी के खसरा नम्बर 109/1729 की बजाय 106/1729 की दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है। रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक 20/05/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(गोमती शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सायला